

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राज्य स्वास्थ्य समिति
बैंक ऑफ इण्डिया भवन, तृतीय तल, अरेरा-हिल्स, जेल रोड
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./एम.एच./2014/821
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02/12/2014

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,
3. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश

विषय:—एच.आई.व्ही. संक्रमित गर्भवती महिलाओं को मोबिलिटी सपोर्ट उपलब्ध कराने बाबत।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की गाइडलाइन के अनुसार एच.आई.व्ही. से संक्रमित सभी गर्भवती महिलाओं को ए.आर.टी. की दवायें प्रदान की जाना है। ए.आर.टी. की दवा नज़दीक के किसी भी ए.आर.टी. केन्द्र से दी जा सकती है। अतः इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें :—

1. समस्त गर्भवती महिलाओं को एच.आई.व्ही. की जांच ऑफर की जावे।
2. एच.आई.व्ही. की जांच गर्भ के पता चलने के उपरान्त यथाशीघ्र एफ.आई.सी.टी.सी. या आई.सी.टी.सी. पर कराई जावे।
3. आई.सी.टी.सी. द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो गर्भवती महिलाएं एच.आई.व्ही. से संक्रमित पायीं जाती हैं, उन्हें तत्काल नज़दीक के ए.आर.टी. केन्द्र पर पंजीयन हेतु भेजा जावे।
4. एच.आई.व्ही. से संक्रमित गर्भवती महिलाओं को ए.आर.टी. केन्द्र तक आने-जाने हेतु रुपये 300/- का भुगतान किया जावे। गर्भवती महिला को प्रत्येक माह ए.आर.टी. केन्द्र दवा लेने हेतु जाना होगा, अतः राशि रुपये 300/- प्रत्येक माह की एक विज़िट हेतु, सम्पूर्ण गर्भावस्था काल व शिशु के जन्म के उपरान्त के दो माहों तक गर्भवती महिला द्वारा की गयी ए.आर.टी. केन्द्र की विज़िट हेतु किया जावे।
5. ए.आर.टी. केन्द्र द्वारा प्रत्येक एच.आई.व्ही. संक्रमित व्यक्ति को ग्रीन बुक (हरे रंग की डायरी) जारी की जाती है, जिस पर उनकी प्रत्येक विज़िट का विवरण दर्ज होता है। इस किताब को गर्भवती महिला की ए.आर.टी. केन्द्र की विज़िट के सत्यापन के लिए प्रयुक्त किया जावे।
6. मोबिलिटी सपोर्ट हेतु मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत मद क्रमांक—A.1.5.14 में राशि का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार समस्त एच.आई.व्ही. संक्रमित गर्भवती महिलाओं को ए.आर.टी. केन्द्र की विज़िट हेतु मोबिलिटी सपोर्ट प्रदान किया जावे। इस गतिविधि की बुकिंग गतिविधि क्रमांक—A.1.5.14 में की जाय।

(फ़ैज़ अहमद किदवई)

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

भोपाल, दिनांक 02/12/2014

पृ.क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2014/822

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त नोडल अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मध्यप्रदेश।
2. समस्त नोडल अधिकारी, ए.आर.टी. केन्द्र, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन